न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच
उपस्थित–शैली रॉय, उच्चतर न्यायिक सेवा
{J. O. Code No.– UP 6175}
UPBH010003682022

फौजदारी निगरानी सं०–42/2022

विनोद तिवारी पुत्र स्व० जगदम्बा प्रसाद तिवारी, निवासी मोहल्ला कानूनगोपुरा उत्तरी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच। .....**निगरानीकर्ता**।

बनाम

1– राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी महोदय, बहराइच।

2– अभिषेक रंजन श्रीवास्तव पुत्र स्व० अशोक कुमार श्रीवास्तव, निवासी मोहल्ला काजीपुरा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच। (तैनात एकाउंटेन्ट/लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच)

3– दीपक पुत्र अज्ञात एन०एच०एम० लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच।

4– जनपद बहराइच स्थित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ केन्द जनपद बहराइच के कर्मचारीगण/अधिकारीगण .....**उत्तरदातागण।**

निर्णय

1– निगरानीकर्ता ने प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा मुकदमा संख्या–1361/12/2026 विनोद तिवारी बनाम अभिषेक रंजन श्रीवस्तव आदि, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बहराइच में पारित आलोच्च आदेश दिनांकित–27.10.2021 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश पारित कर निगरानीकर्ता/वादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० के रूप में दर्ज होने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी संस्थित की गयी है।

<u>निगरानी के आधार–</u>

2– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी को निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि–

(i) विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 27–10–2021 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत है व खिलाफ कानून मंशा है, प्रश्नगत आदेश को इललीगल व इर्रेगुलर तरीके से सरसरी तौर पर खिलाफ कानून मंशा पारित किया है। विचारण न्यायालय ने तथ्यों व कानून को समझने में भूल की है और गलत मतलब निकाला है और निगरानीकर्ता के प्रार्थना–पत्र धारा– 156(3) द०प्र०सं० को परिवाद–पत्र के तौर पर दर्ज करके विधिक गलती की है।

Digitally signed by Shelly Roy
Date: 2026.08.03 10:17:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(ii) निगरानीकता ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना–पत्र 156(3) सी०आर०पी०सी० मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने का आदेश देने के लिए दायर किया था और मामला सरकारी धन के गबन व धोखाधड़ी से संबंधित है और तमाम कूटरचित झूठे बिलों से सम्बन्धित है, जो पुलिस विवेचना से ही सम्भव हो सकता है। निगरानीकर्ता ने कभी भी अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को परिवाद के रूप मे लड़ने का इच्छुक नहीं रहा है। यदि प्रश्नगत आदेश को निरस्त नहीं किया गया और मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना का आदेश नहीं कराया गया, तो उक्त हालत में सही जानकारी न्यायालय के समक्ष नहीं आ पायेगी।

(iii) संक्षेप में प्रार्थना–पत्र 156(3) सी०आर०पी०सी० के कथन निम्न प्रकार है कि प्रार्थी न्यूज वन इण्डिया का पत्रकार है और समाज सेवी व भारतवर्ष का जागरूक नागरिक है। विपक्षीगण कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच में तैनात सरकारी कर्मचारी है। विपक्षी सं० 1 उक्त कार्यालय में एकाउन्टेन्ट/लिपिक है और विपक्षी सं० 2 उक्त कार्यालय में एन०एच०एम० नेशनल हेल्थ मिशन लिपिक है और उक्त कार्यालय में जरिये सरकार द्वारा संचालित एन०एच०एम० प्रोग्राम के तहत प्रत्येक योजनाओं का अनुपालन किये जाने का कार्य संचालित किया जाता है। उक्त एन०एच०एम० प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत बायो मेडिकल बेस्ट व क्लीनिग गार्डनिंग व क्लीनिंग एण्ड वाशिंग व आर०बी०एस० के वाहन एक अदद व स्पोंटिंग सुपर विजन वाहन दो अदद का कार्य उक्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच द्वारा नियमानुसार कराने के लिये सरकार से करोड़ों रूपये का बजट आया था और सरकारी नियमानुसार उक्त कार्यालय के द्वारा कराये जाने वाले समस्त कार्यनिविदा द्वारा गजट से व समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल कर लिये जाने का प्रावधन है जिससे पारदर्शिता बनी रहे, परन्तु विपक्षीगण सं० 1 व 2 ने आपस में साजिश रचकर व एकराय होकर उक्त योजना के तहत सरकार से आये करोड़ो रूपये के धन को छलपूर्वक हड़पने के लिये व स्वयं को लाभ लेने के मकसद से व सरकार को नुकसान पहुंचाने के मकसद से छलपूर्वक व छल के प्रयोजन से तमाम कूटरचित दस्तावेज बनाये और सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिये व सरकारी धन का गबन करने के लिये उक्त एन०एच० एम० योजना के तहत आये उपरोक्त कार्यों को करने के लिये बिना निविदा गजट कराये व समाचार पत्रो में बिना विज्ञापन कराये उक्त समस्त कार्यों को करने हेतु जनपद बहराइच स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चित्तौरा, तेजवापुर जरवल, कैसरगंज शिवपुर, नानपारा० मोतीपुर, पयागपुर, विशेश्वरगंज, हुजूरपुर, रिसिया, फखरपुर, महसी, नावाबगंज आदि से सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों को उक्त कार्य करने के लिये गैर कानूनी रूप से अधिकृत करके करोड़ों रूपये के सरकारी धन का आवंटन कर दिया और विपक्षी सं० 1 व 2 ने उक्त सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजे गये करोड़ो रूपये धन में से 25% कमीशन उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों से लिया और कुल करोड़ों रूपया सरकारी धन का दुरुपयोग करके व गबन करके विपक्षीगण सं० 1 व 2 व सम्बन्धित उपरोक्त कर्मचारियों व

अधिकारियों ने आपस में बांट लिया और उन्होंने उक्त योजना के तहत कोई भी कार्य नहीं कराया और न ही कोई खरीद फरोख्त ही किया और फर्जी कम्पनी के फर्जी बिल आदि लगाकर सरकारी कुल करोड़ो रूपया छल पूर्वक हड़प लिया और किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा अवैध रूप से भुगतान किये गये फर्जी फर्मों से जी०एस०टी० कराई नही गई है और जी०एस०टी० राजकीय कोष में जमा नहीं कराई गई, जिससे सरकार को लाखों रूपये की राजस्व क्षति हुई है और इसी प्रकार इनकम टैक्स का भी लेखा जोखा नहीं रखा गया और समस्त भुगतान के लिये अनाधिकृत फर्मों का उपयोग किया गया है और जब प्रार्थी ने दिनांक 07–4–2021 समय करीब शाम 4 बजे विपक्षीगणों से उक्त अवैध गैर कानूनी कार्य व सरकारी धन का दुरुपयोग व गबन के विषय मे विपक्षीगण सं० 1 व 2 से पूछा, तब विपक्षीगण सं० 1 व 2 ने प्रार्थी को बताया कि उन्होंने समस्त कार्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक रूप से पूछकर किया है और यदि प्रार्थी ने पूरे मामले को किसी भी पटल पर उठाया, तो उक्त सूरत में विपक्षी प्रार्थी की हत्या करा देंगे। प्रार्थी को शक है कि विपक्षीगण ने उक्त घोटाला के साथ–साथ एन०एच०एम० के तहत कई योजनाओं में भी करोड़ों रूपये का घोटाला किया है और सरकारी धन का गबन व अमानत में ख्यानत किया है।

(iv) प्रश्नगत आदेश दिनांक 27–10–2021 विधि अनुसार निरस्त होने योग्य है और सायल निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 156(3) द०प्र०सं० को विधि अनुसार मुकदमा पंजीकृत करके विधि अनुसार विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। निगरानी हाजा अन्दर मियाद है। निगरानी हाजा न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब फरमाकर निगरानी हाजा को मंजूर करके अधीनस्था न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दि० 27–10–2021 निरस्त करने की कृपा करें और विधि अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 156(3) सी०आर०पी०सी० को मंजूर करके मुकदमा थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के समर्थन में अपना शपथ–पत्र, नकल आदेश दिनांकित 27.10.2021 विनोद तिवारी बनाम अभिषेक रंजन श्रीवास्तव आदि, प्रमाणित छायाप्रति आदेश दिनांकित 27.10.2021 विनोद तिवारी बनाम अभिषेक रंजन श्रीवास्तव आदि व छायाप्रति आधार कार्ड दाखिल किया गया है।

4– नोटिस पर उत्तरदातागण उपस्थित आये परन्तु उनके द्वारा कोई लिखित आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है। मौखिक रूप से निगरानी का विरोध किया है तथा कहा है कि निगरानी झूठ पर आधारित होने के कारण निगरानी निरस्त होने योग्य है।

<u>प्रकरण के तथ्य–</u>

5– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी/आवेदक न्यूज वन इण्डिया का पत्रकार और समाजसेवी है। विपक्षीगण कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच में तैनात सरकारी कर्मचारी हैं। उक्त कार्यालय के जरिए संचालित एन०एच०एम० प्रोग्राम के तहत प्रत्येक योजनाओं का अनुपालन किये जाने का कार्य संचालित किया जाता है। उक्त प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत बायो मेडिकल बेस्ट व क्लीनिंग गार्डनिंग व वाशिंग व आर०बी०एस० के वाहन एक अदद व स्पोर्टिंग सुपर विजन वाहन दो अदद का कार्य उक्त कार्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच द्वारा नियमानुसार कराने के लिये सरकार से करोड़ों रूपये का बजट आया था और उक्त कार्य नियमानुसार कराने के लिये कार्यालय द्वारा निविदा द्वारा गजट से व समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर किये जाने का प्रावधन है जिससे पारदर्शिता बनी रहे, परन्तु विपक्षीगण सं० 1 व 2 ने आपस में साजिश रचकर योजना के तहत सरकार से आये करोड़ों रूपये के धन को छलपूर्वक हड़पने के लिये व स्वयं को लाभ लेने के मकसद व सरकार को नुकसान पहुंचाने के मकसद से छल के प्रयोजन से तमाम कूटरचित दस्तावेज बनाये और सरकारी धन का दुरूपयोग करने के लिये सरकारी धन का गबन करने के लिये बिना निविदा गजट करायें व समाचार पत्रों में विज्ञापन कराये उक्त समस्त कार्यों को करने हेतु जनपद बहराइच स्थित विभिन्न सामुदायक स्वास्थ केन्द्र से संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को उक्त कार्य करने के लिये गैर कानूनी रूप से अधिकृत करके करोडों रूपये सरकारी धन का आवंटन कर दिया, जिसमें से 25 प्रतिशत कमीशन उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों से ले लिया और कोई भी कार्य उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों ने नहीं कराया और रूपया आपस में बांट लिया तथा फर्जी कम्पनी के बिल लगा दिये गये। उक्त कार्य के एवज में भुगतान किये गये फर्जी फर्मों से जी०एस०टी० भी नहीं करायी गयी। दिनांक 07.04.2021 को समय करीब 5 बजे शाम को जब आवेदक ने विपक्षीगण से उक्त अवैध कार्य व सरकारी धन का दुरूपयोग व गबन के विषय में विपक्षीगण सं० 1 व 2 से पूछा तब उन्होने आवेदक को बताया कि उन्होने समस्त कार्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक रूप से पूछकर किया है और यदि इस पूरे मामले को किसी भी पटल पर उठाया, तो विपक्षीगण आवेदक की हत्या करा देंगे। प्रार्थी ने घटना की सूचना पुलिस को दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तब यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में संस्थित किया गया उक्त प्रार्थना–पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–27.10.2021 को निरस्त कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी संस्थित की गयी है।

6– निगरानीकर्ता को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी वह न्यायालय उपस्थित नहीं आया। मैने, उत्तरदाता संख्या 01– उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्य का तथा आलोच्य आदेश दिनाँकित–27.10.2021 का सम्यक अवलोकन किया।

7– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा–156(3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत अग्रेतर विवेचना हेतु मामले को

विवेचक को सुपुर्द किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विधिनुकूल आदेश पारित नहीं किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखना चाहिये था क्योंकि सरकारी धन के गबन जैसे संगीन अपराध से सम्बन्धित था इसलिये विद्वान न्यायालय को सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित नहीं करना चाहिये।

इसके विपरीत उत्तरदाता सं०–1 उत्तर प्रदेश सरकारी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया है कि आलोच्च आदेश विधिपूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है जिसमें कोई विधित त्रुटि या क्षेत्राधिकार सम्बन्धित त्रुटि या कोई वैधानिक अनियमितता नहीं है निगरानी बलहीन है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8– प्रस्तुत निगरानी में यह देखा जाना है कि, क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–27.10.2021 विधि सम्मत है अथवा नहीं ?

9– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया है कि, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि समस्त तथ्य आवेदक के संज्ञान में है जिनके सम्बन्ध में आवेदक दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य दे सकता है। अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सुखवासी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य आदि 2007, ए०सी०सी०, 51** में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में पुलिस विवेचना के स्थान पर मामला परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित है। मामले में निगरानीकर्ता के धारा–156(3) सी०आर०पी०सी० का प्रार्थना–पत्र को परिवाद के रूप में परिवर्तित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

10– मेरे द्वारा आलोच्य आदेश व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि, निगरानीकर्ता के द्वारा उत्तरदातागण पर सरकारी धन को फर्जी तरीके से गबन करने का अभियोग लगाया गया है। निगरानीकर्ता जो स्वयं पत्रकार है। वह मामले के समस्त तथ्यों से भली–भांति अवगत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह स्पष्ट किया है कि, प्रार्थी मामले के समस्त तथ्यों से परिचित है जिसे वह न्यायालय में साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकता है ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यावस्था का उल्लेख किया गया है जो कि इस मामले में सुसंगत है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध हो अथवा बिना विचार किये पारित किया गया है।

11– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के आलोक में यह न्यायालय इस मत का है कि,

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश वैधानिक एवं विधिनुकूल है, जिसमे अवैधता एवं अनियमितता प्रतीत नहीं हो रही है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.10.2021 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। निगरानी बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–42/2022 विनोत तिवारी बनाम सरकार उत्तर प्रदेश आदि खारिज की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 1361/12/2026 विनोद तिवारी बनाम अभिषेक रंजन श्रीवस्तव आदि, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–बहराइच में पारित आलोच्च आदेश दिनांकित–27.10.2021 पुष्ट किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शैली रॉय)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बहराइच।

दिनाँकः 03–08–2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उद्घोषित किया गया।

(शैली रॉय)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बहराइच।

दिनाँकः 03–08–2026